तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सुरज,चन्द्रमा और सत्य

खेती री बातां

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 9-11 नवम्बर 2016 जयपुर

gramrajasthan.in

वर्ष-19 अंक-11 मासिक पत्रिका आर.एन.आई. - 70296/98 5 नवम्बर 2016 वार्षिक शुल्क- 12 रुपये

'ग्राम' में 'कृषि मशीनीकरण' को दिया जायेगा प्रोत्साहन

जयपुर में 9 –11 नवम्बर को आयोजित होने वाले 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट – 2016' (ग्राम) में 'कृषि मशीनीकरण' के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा। कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती नीलकमल दरबारी ने कहा कि कृषि में कार्य दक्षता बढ़ाने तथा समय एवं श्रम की बचत करने के लिए इस विशाल कृषि आयोजन में आधुनिक कृषि मशीनीकरण के उपयोग को प्रदर्शित किया जायेगा। 'ग्राम' में कृषि मशीनीकरण के लिए समर्पित एक विशेष पैवेलियन होगा। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि इस पैवेलियन में नवीनतम कृषि मशीनरी के मॉडल विस्तृत विवरण के साथ प्रदर्शित किये जायेंगे। इसमें मशीनों के उपयोग और आधुनिक मशीनीकरण से होने वाले लाभ भी बताये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि भूमि की जुताई, फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, नमी, ग्रेडिंग, संरक्षण, छंटाई, बीजारोपण एवं उर्वरक देने, पॉलिशिंग, पौधों के संरक्षण, पैकेजिंग, कटाई एवं परिवहन में कृषि मशीनरी का उपयोग किया जाता है। छोटे किसान आमतौर पर स्वंय अथवा संस्थागत ऋण के माध्यम से कृषि मशीनरी खरीदने में असमर्थ होते हैं। ऐसे किसानों तक कृषि मशीनरी की पहुँच को आसान बनाने में कस्टम हायरिंग सेंटर्स महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। उन्होंने कहा कि 'ग्राम' के दौरान राज्यभर में कृषि मशीनीकरण एवं उपकरणों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी) की स्थापना की संभावनाएं भी तलाशी जायेगी।

श्री दरबारी ने कहा कि राजस्थान में प्लास्टिकल्चर से भी जबरदस्त संभावनाएं हैं। प्लास्टिकल्चर के तहत कृषि एवं बागवानी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, मल्चिंग, लो टनल कल्टीवेशन, पॉली हाउस आदि में प्लास्टिक का उपयोग होता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगभग 1.70 लाख हैक्टर भूमि में ड्रिप एंव मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई होती हैं और लगभग 14 लाख हैक्टर क्षेत्र में स्प्रिंकलर से सिंचाई होती हैं। यह देखा गया है कि प्लास्टिकल्चर के उपयोग से उपज में 50 से 60 प्रतिशत की वृद्धि होती है और 60 से 70 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है। इसके साथ ही इससे खरपतवार की रोकथाम होती है और 30 से 40 प्रतिशत तक उर्वरक की बचत की जा सकती है।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि हाल के वर्षों में राजस्थान में स्प्रिंकलर, वाटर पम्प, ट्रैक्टर, टिलर आदि के बढ़ते उपयोग से कृषि मशीनीकरण की ओर रुझान देखा गया है। गत कुछ वर्षों में यहाँ ट्रैक्टर की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। देश के कुल ट्रैक्टर बिक्री में राज्य की 9 प्रतिशत की भागीदारी है। सरकार का उद्देश्य तकनीकी समझ रखने वाली अगली पीढ़ी के किसानों के लिए कृषि गतिविधियों में कठोर परिश्रम को दूर करना और खेती को लाभकारी बनाना है।

प्रो. सांवर लाल जाट ने दिनांक 24 अक्टूबर 2016 को पंत कृषि भवन में किसान आयोग अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।

कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण, किसानों को मिलेगा पॉलिसी बांड

कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने सोमवार को पंत कृषि भवन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेबपोर्टल http://pmgsytendersraj.gov.in/ का लोकार्पण किया। सैनी ने इस अवसर पर एक किसान की बीमा पॉलिसी को ऑनलाईन सबमिट भी किया। इसके साथ ही राजस्थान देश का दूसरा राज्य हो गया, जहाँ इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन के लिए वेबपोर्टल तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

क्या है राष्ट्रीय कृषि बाजार?

राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसने मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) अन्य कृषि मंडियों को नेटवर्क से जोड़कर एक विशाल बाजार का रुप दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार कहने को तो एक "वर्चुअल" बाजार है लेकिन यह किसी भी किसान/ व्यापारी को देश की किसी भी कृषि मंडी में सामान खरीदने व बेचने की सहूलियत देता है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार और मौजूदा मंडी व्यवस्था के बीच में क्या अंतर है?

राष्ट्रीय कृषि बाजार कोई दूसरा या वैकल्पिक बाजार नहीं है बल्कि मौजूदा मंडियों को ही एक नेटवर्क में जोड़कर किसानों और कृषि व्यापारियों को आमने–सामने कर देता है। यह तकनीकी के जरिये खरीदारों को देश की विभिन्न मंडियों से जोड़ता है जिससे खरीदार किसी दूसरे राज्य में बैठकर भी किसी और राज्य की मंडी से सामान का भाव पता कर सकता है और माल खरीद भी सकता है।

ई–नाम के माध्यम से किसान अब राष्ट्रीय स्तर के बाजार में अपनी उपज बेच सकेंगे जिससे उनको उपज का अच्छा मूल्य मिल सकेगा। राज्य की 11 मंडियों को ई–नाम से जोड़ा गया है जिनमें रामगंज मंडी, पदमपुर, फतहनगर, गंगापुर सिटी, बूंदी, बानां, कोटा अनाज, अटरू, मेड़ता, नागौर एवं डिण्डौन मंडी शामिल है।

क्यों जरुरी है राष्ट्रीय कृषि बाजार?

यह कृषि उपज की बिक्री के लिए एकीकृत बाजार उपलब्ध कराता है और फसलों की उपज से उनकी बिक्री तक के सफर को बेहद आसान बनाता है।

मौजूदा व्यवस्था में कृषि मंडियाँ अलग–अलग रहकर व्यापार में भाग ले रही हैं। जगह–जगह पर सामान की कीमतों में फर्क पाया जाता है और कई स्तरों पर बिकने की वजह से उपभोक्ताओं को वस्तुओं का काफी अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। यहाँ तक कि एक ही राज्य की विभिन्न मंडियों में चीजों का मूल्य अलग–अलग पाया जाता है। व्यापारियों को एक ही राज्य के विभिन्न बाजारों में कृषि उपज खरीदनें के लिए अलग–अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं जिसका सीधा असर वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। एक ही राज्य में कृषि उपज को एक मंडी क्षेत्र से दूसरी मंडी क्षेत्र में ले जाने पर भी कई स्थानों पर दोबारा मंडी शुल्क देना पड़ता है जिसकी वजह से भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार से कृषकों और खरीदारों को इन सब परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और देश एक एकीकृत बाजार में बदल जायेगा जिससे कि कृषि उपज के मूल्य स्थिर होंगे।

राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल होने के लिए क्या करें?

जो राज्य राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ना चाहते है उन्हें अपने एपीएमसी अधिनियम में निम्न बदलाव करने होते हैं।

शेष पृष्ठ 4 पर....

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट– 2016 में भाग लेने हेतु पंजीयन करवाना आवश्यक है।

जिसके लिए अपना पहचान–पत्र (आधार /भामाशाह कार्ड/ मतदाता पहचान– पत्र/ ड्राईविंग लाइसेंस इनमें से कोई एक) अवश्य साथ लायें।

E mail : kheti_ri_batan@yahoo.co.in

इस अंक में....

- नवम्बर माह के कृषि कार्य
- परख
- बीज एवं किस्म का चयन.....
- खेती की नई जानकारी ....

पृष्ठ 2

- "बीज उपचार ड्रम" द्वारा रबी फसलों में बीजोपचार
- कृषि यंत्रों पर कृषकों को देय सहायता

पृष्ठ 3

- जिप्सम से बढ़ायें – रबी फसलों की उपज व गुणवत्ता

पृष्ठ 4

www.krishi.rajasthan.gov.in

दूरभाष – 0141–5116240, 2227365 / 354

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 9-11 नवम्बर 2016 जयपुर

नवम्बर माह के कृषि कार्य

फसलोत्पादन

*सभी फसलों में बुवाई पूर्व **मिट्टी की जाँच** रिपोर्ट के अनुसार उर्वरक ऊर कर दें।

***गेहूँ** की उन्नत किस्मों का एक हैक्टर में 100 से 125 किलो बीज काम में लें।

***गेहूँ** में पहली सिंचाई शीर्ष जड़ जमने की अवस्था (20–25 दिन) में करें।

***जौ** की बुवाई 15 नवम्बर तक पूरी कर लेवें।

***चने** में कटवर्म कीट के नियंत्रण के लिए सायः के समय क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किग्रा. प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।

***मटर** के फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फूल आते समय एन.पी.वी. 250 एल.ई.

125 मिलीलीटर प्रति हैक्टर का पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अन्तराल पर तीन छिड़काव करें।

बागवानी

★नये लगाये गये बगीचों में सब्जियों जैसे मटर, मिर्च, प्याज, बैंगन, मूली आदि की फसल लेवें।

★**बेर** में कच्चे छोटे–छोटे फल बनना शुरु हों, उस समय आयु के अनुसार प्रति पौधा यूरिया देवें तथा सिंचाई करें। 4 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पौधों को 1.2 किलो यूरिया प्रति पौधे के हिसाब से देवें।

★**बेर** में फल मक्खी कीट का नियंत्रण करें। बेर के फल मटर के आकार के हों उस समय मोनोक्रोटोफॉस 36 डब्ल्यू.एस.सी. 1 मिली या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 1.5 मिली प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें।

★**अमरुद** व **अनार** में मिलीबग कीट की रोकथाम हेतु ट्राईजोफोस 40 ई.सी. 2 मिली प्रति लीटर पानी या डाईमिथोएट 30 ई.सी. 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव इसमें 15 से 20 दिन बाद करें।

★**नींबू** में मूल ग्रंथी रोग होने पर पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं एवं टहनियाँ सूख जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरॉन 3 जी 20 ग्राम दवा प्रति पेड़ की दर से डालें।

★**नींबू** में सिट्रस केंकर का प्रकोप होने पर टहनियों, पत्तियों व फलों पर भूरे

कॉर्कनुमा धब्बे बनते हैं। रोग के प्रकोप को रोकने के लिए कटाई–छंटाई के बाद बोर्डो मिश्रण (4:4:50) या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 4–5 लीटर पानी के घोल का बीस दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 मिलीग्राम एवं ताम्रयुक्त कवकनाशी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का रोग के लक्षण दिखाई देते ही बीस दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।

★**पपीते** में विषाणु रोग के कारण पत्तियाँ छोटी, कुंचित व विकृत हो जाती हैं। रोग की रोकथाम के लिए डायमिथोएट 30 प्रतिशत ई.सी. एक मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।

सब्जियाँ

★**बैंगन** में छोटी पत्ती रोग व भिण्डी में पीतशिरा विषाणु रोग की रोकथाम के लिए डायमिथोएट 30 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें।

★**मिर्च** में जीवाणु पत्ती धब्बा रोग जिसमें पत्तियों पर छोटे–छोटे धब्बे बन जाते हैं, की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 मिलीग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 75 डब्ल्यू.पी. 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।

★**प्याज** की पूसा रेड, एग्री फाउण्ड लाइट रेड किस्मों की 10 किलो प्रति हैक्टर की दर से बुवाई करें। प्याज की पौध 7–8 सप्ताह की हो जाये तो उसे 15 सेमी. की दूरी पर कतारों में पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी. रखते हुए रोपाई करें।

मसाले

★**मेथी** की बुवाई मध्य नवम्बर तक की जा सकती है। मेथी की उन्नत किस्में आर.एम.टी.–143/305, राजेन्द्र क्रान्ति का 20–25 किलो बीज प्रति हैक्टर की दर से बुवाई के काम में लेवें।

★**जीरे** की बुवाई का कार्य 15 नवम्बर से 30 नवम्बर तक करें एवं बुवाई हेतु आर.जेड.–19/209/223, जी.सी.– 4 किस्मों का 12–15 किलो बीज प्रति हैक्टर की दर से बुवाई के काम में लेवें।

★**जीरे** की फसल को झुलसा रोग से बचाव हेतु ट्राईकोडर्मा विरीडी जैविक फफूंदनाशी दवा की 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करें। उखटा रोग से बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम कार्बेन्डेजिम या कार्बोक्सिन व थायरम दवा की बराबर मात्रा मिलाकर 3 ग्राम मिश्रण से बीजोपचार करें। उखटा रोग के जैविक नियंत्रण के लिए 3.2 टन वर्मीकम्पोस्ट एवं 10 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति हैक्टर की दर से भूमि में मिलायें।

★**हल्दी** व **अदरक** में निराई–गुड़ाई कर पौधों पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें।

★**लहसुन** एवं **अजवाइन** की बुवाई का भी यह उचित समय है। लाभ सलेक्शन–1, लाभ सलेक्शन–2, अजवाइन की उन्नत किस्में हैं। अजवाइन की एक हैक्टर में बुवाई के लिए 2 से 4 किलो बीज पर्याप्त होता है।

औषधीय व सुगन्धित पौधे

★**ईसबगोल** की बुवाई नवम्बर माह तक की जा सकती है। इसकी उन्नत किस्में आर.आई.– 89 व आर.आई.– 2, गुजरात ईसबगोल–2, हरियाणा ईसबगोल–5 एवं जवाहर ईसबगोल–4 का 5–7 किलो बीज प्रति हैक्टर की दर से काम में लेवें।

★वर्षा आधारित ग्वारपाठे की फसल में जिन पत्तियों का वजन 300–400 ग्राम हो उनकी कटाई कर लेनी चाहिये।

चारा फसलें

★**रिजके** एवं **बरसीम** की बुवाई का यह उचित समय है। आनन्द–2, एल.एल.सी.–3 एकवर्षीय तथा टाइप–9, आर.एल.–88 बहुवर्षीय रिजके की उन्नत किस्में है। शुरु की कटाइयों में अधिक चारा उत्पादन प्राप्त करने के लिए लगभग दो किलो सरसों या 12 किलो मेथी को रिजके के बीज के साथ मिलाकर बुवाई करें।

★**बरसीम** की मस्कावी, वरदान एवं एस. 99–1 किस्मों का 25–30 किलो बीज प्रति हैक्टर की दर से उपयोग करें।

★हरे चारे के लिये जौ की किस्म आर.डी.– 2715 का उपयोग कर सकते हैं। यह दोहरी उपयोगिता (हरा चारा व दाना) देने वाली किस्म है। सामान्य बुवाई के 50 से 55 दिन की अवधि पर कटाई करने से औसतन 175–180 क्विंटल चारा प्रति हैक्टर प्राप्त किया जा सकता है। कटाई के पश्चात् सामान्य सिंचाई व नत्रजन छिड़काव के बाद इसकी औसत पैदावार 26–28 क्विंटल प्रति हैक्टर तक प्राप्त की जा सकती है।

परख

अक्टूबर, 2016 के अंक में प्रकाशित आलेख में से दो प्रश्न पूछे गये थे। सही उत्तर भेजने वाले लॉटरी द्वारा चुने गये विजेता कृषक का नाम है–

1. श्री मनीराम
पुत्र श्री पेमाराम मुंण्डेल,
ग्रा. पो.– खिंयाला,
तह.– जायल,
जिला– नागौर (341023)

2. श्री नरेन्द्र कुमार
पुत्र श्री कस्तुर चन्द्र जांगिड़,
ग्रा. पो.– मण्डोला,
तह.– बारां,
जिला– बारां (325205)

इस माह के प्रश्न हैं –

प्र.1 इसबगोल की दो किस्मों के नाम बतायें?

प्र.2 ग्राम का आयोजन कब व कहाँ किया जायेगा?

तो आप भी उठाइये पैन व पोस्ट कार्ड और हमें लिख भेजिये इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब। हमारा पता है:–
उप निदेशक, कृषि (सूचना),
कमरा नम्बर 118,
कृषि निदेशालय,पंत कृषि भवन,
जयपुर–302005

पशुपालन व दुग्ध उत्पादन

★पशुओं को खुरपका–मुंहपका की बीमारी से बचाव का टीका लगवायें।

★थनैला रोग से बचाव के उपाय करें।

★सर्दी के मौसम में भैंस अधिकतर ताव में आती है अतः भैंस को समय से मुर्रा नस्ल के झोटे से ग्याभिन करवायें।

★पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए पशु घर का उचित प्रबंध करें।

★पशुओं का बिछावन सूखा होना चाहियें तथा प्रतिदिन बदलना चाहिये।

★पशुओं को खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें।

बीज एवं किस्म का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

प्रमाणित बीज

प्रमाणित बीज से स्वस्थ रोग रहित पौधे

स्वस्थ पौधे में अधिक बालियाँ, अधिक दाने

भरपूर उपज

- बीज प्रमाणित व अधिक उपज देने वाला हो।
- कम समय व कम पानी में पकने वाला हो।
- सूखा सहन करने वाला हो।
- फसल पर कीट व रोग का कम से कम असर हो या प्रतिरोधक हो।
- क्षेत्र की जलवायु को सहन करने वाला हो।
- खराब बीज होने पर बीज, खाद, उर्वरक, पानी, खेत की तैयारी, किसान की मेहनत व लागत बेकार हो जाती है।

बीज जनित रोगों से बचाव हेतु बीज को उपचारित करके बोएं।

खेती की नई जानकारी के लिए.....

बात करें

किसान कॉल सेन्टर
निःशुल्क टेलीफोन
1800 180 1551 या 1551 पर
(प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक)

देखें

जयपुर दूरदर्शन पर
खेती बाड़ी–2 ▸ गुरूवार सायं 7.30 बजे
कृषि दर्शन ▸ सोमवार से शुक्रवार सायं 5.30 बजे
डी.डी.किसान → 24 घंटे–प्रतिदिन

सुनें

"खेती री बातां" आकाशवाणी कार्यक्रम
आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से
प्रतिदिन सायं 7.45 से 8.15 तक

पढ़ें

"खेती री बातां" मासिक अखबार
डाक से मंगवाने के लिए मात्र
12 रूपये वार्षिक शुल्क निकटतम
कृषि कार्यालय में जमा करायें

मिलें

नजदीकी कृषि कार्यालय या
जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र में

लॉग ऑन करें

www.krishi.rajasthan.gov.in
(विभागीय वेबसाइट)
www.mkisan.gov.in
www.farmer.gov.in
(संदेश व अन्य जानकारी)

''बीज उपचार ड्रम'' द्वारा रबी फसलों में बीजोपचार

कृषि में बीज की महत्ता को भुलाया नहीं जा सकता। सही बीज का चयन करने के साथ–साथ यदि बीज को उपचारित कर बोया जाये तो कीड़ों व बीमारियों के नियन्त्रण के साथ पोषक तत्वों की उपलब्धता में बढ़ोतरी होती है, जिससे पैदावार बढ़ती है। बीजोपचार से फसलों में 10 से 15 प्रतिशत होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। **बीजोपचार के लिए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों पर ''बीज उपचार ड्रम'' उपलब्ध कराया गया है।** किसान भाई अपना बीज व दवा ग्राम पंचायत में ले जाकर निःशुल्क बीज उपचार कर सकते हैं। इस माह बोई जाने वाली रबी की प्रमुख फसलों में बीजोपचार इस प्रकार करें:–

गेहूँ

*ईयर कोकल व टुण्डु रोग से बचाव के लिये रोग ग्रस्त बीज को 20 प्रतिशत नमक के घोल में डुबोकर नीचे बचे स्वस्थ बीज को अलग छांट कर साफ पानी में धोयें और सुखाकर बोने के काम में लेवें। ऊपर तैरते हल्के एवं रोग ग्रसित बीजों को निकालकर नष्ट करें। जिन खेतो में इस रोग का अधिक प्रकोप हो उनमें अगले कुछ वर्षो तक गेहूँ नहीं बोया जावें।

*लवणीय मिट्टी व खारे पानी वाले क्षेत्रों में बीज को सोडियम सल्फेट के 3 प्रतिशत घोल (डेढ किलो सोडियम सल्फेट का 50 लीटर पानी में घोल) में 8 घण्टे भिगोना चाहिये। इसके बाद बीज से लवण की

परत हटाने के लिये बीज को सादे पानी में अच्छी तरह धोंकर सुखा लेवें। बीजोपचार से पूर्व खारी मिट्टी एवं खारे पानी का परीक्षण करावें और भूमि तैयार करते समय सिफारिश अनुसार खाद व रासायनिक उर्वरको का प्रयोग करें। भूमि की विद्युत चालकता एक से अधिक एवं पी.एच. 8.5 से कम होने पर ही यह उपचार करें। भूमि का पी.एच. मान 8.5 से अधिक हो तो मई में आवश्यकतानुसार जिप्सम डालें एवं ढ़ेंचा की हरी खाद काम में लेवें।

*बीज जनित रोगों से बचाव हेतु 2 ग्राम थाईरम या ढ़ाई ग्राम मेन्कोजेब प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित कर बुवाई के काम में लेवें।

*जिन खेतो में अनावृत्त कण्डवा एवं पत्ती कण्डवा रोग का प्रकोप हो वहाँ नियंत्रण हेतु कार्बोक्सिन या कार्बेन्डेजिम 2 ग्राम

शेष पृष्ठ 4 पर .....

कृषि यंत्रों पर कृषकों को देय सहायता

योजना/ गतिविधि	NFSM	SMAM / NMOOP		
ट्रेक्टर/ पावर ऑपरेटेड यंत्र	सभी श्रेणी के कृषक	हार्सपावर	SC/ ST/ लघु/ सीमान्त व	सामान्य कृषक
सीड ड्रिल/ सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो	➢ 20 बी.एच.पी. तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 20 से 35 बी.एच.पी.	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 19,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 35 बी.एच.पी. से अधिक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 44,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 35,000/– रु. जो भी कम हो
डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो	➢ 20 बी.एच.पी. तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 20 से 35 बी.एच.पी.	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 19,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 35 बी.एच.पी. से अधिक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 44,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 35,000/– रु. जो भी कम हो
रोटोवेटर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 35,000/– रु. जो भी कम हो	➢ 20 बी.एच.पी. तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 35,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 28,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 20 से 35 बी.एच.पी.	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 44,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 35,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 35 बी.एच.पी. से अधिक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 50,000/– रु. जो भी कम हो
मल्टी क्रॉप थ्रेसर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000/– रु. जो भी कम हो	➢ 20 बी.एच.पी. तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 20 से 35 बी.एच.पी.	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 25,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 20,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 35 बी.एच.पी. से अधिक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 50,000/– रु. जो भी कम हो
ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000/– रु. जो भी कम हो	➢ 20 बी.एच.पी. तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 20 से 35 बी.एच.पी.	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 19,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 35 बी.एच.पी. से अधिक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 44,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 35,000/– रु. जो भी कम हो
रिज फर्रो प्लांटर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो	➢ 20 बी.एच.पी. तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 20 से 35 बी.एच.पी.	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 19,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 35 बी.एच.पी. से अधिक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 50,000/– रु. जो भी कम हो
मल्टी क्रॉप प्लांटर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो	➢ 20 बी.एच.पी. तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 20 से 35 बी.एच.पी.	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 19,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 35 बी.एच.पी. से अधिक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 50,000/– रु. जो भी कम हो
चिजलर/ चिजलर प्लाऊ	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 8,000/– रु. जो भी कम हो	➢ 20 बी.एच.पी. तक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 8,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 6,000/– रु. जो भी कम हो
		➢ 20 से 35 बी.एच.पी.	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/– रु. जो भी कम हो	मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000/– रु. जो भी कम हो

नोट– 1. एन.एम.ओ.ओ.पी. योजनान्तर्गत शक्ति/ ट्रेक्टर चलित यंत्रों में ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर एवं चिजलर/ चिजलर प्लाऊ सम्मिलित नहीं है।
2. अन्य सभी कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशनऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा।

ऐसे मंगवायें "खेती री बातां"
घर बैठे वर्षभर **खेती री बातां** अखबार मंगवाने के लिये अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें या आहरण वितरण अधिकारी, कमरा नं.–250, कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर (302005) के नाम 12/– रुपये का मनीआर्डर भेजें। **स्वयं का साफ–साफ डाक का पूरा पता, पिन कोड़ नंबर व मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।**

डाक पं.सं. **JaipurCity/409/2015-17**
आर.एन.आई – 70296/98

प्रेषक–
उप निदेशक, कृषि (सूचना)
118, पंत कृषि भवन,
जयपुर–302005

प्रेषिति–

जिप्सम से बढ़ायें – रबी फसलों की उपज व गुणवत्ता

बुवाई से पहले 250 किलोग्राम प्रति हैक्टर जिप्सम डालने से रबी फसलों की उपज में 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ–साथ उपज की गुणवत्ता भी बढ़ती है।

उपयोगी है जिप्समः– पौधों के लिए नत्रजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश के बाद गंधक प्रमुख पोषक तत्व है। एक अनुमान के अनुसार तिलहनी फसलों के पौधों को फॉस्फोरस के बराबर मात्रा में गंधक की आवश्यकता होती है। कृषकों द्वारा प्रायः गंधक रहित उर्वरक जैसे डी.ए.पी. एवं यूरिया का अधिक उपयोग किया जा रहा है और गंधक युक्त सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कम हो रहा है। साथ ही अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों द्वारा जमीन से गंधक का अधिक उपयोग किया जा रहा है। एक ही खेत में हर वर्ष तिलहनी एवं दलहनी फसलों की खेती करने से खेतों में गंधक की कमी हो जाती है।

जिप्सम की मात्राः– गंधक की इस कमी को दूर करने एवं अच्छी गुणवत्ता का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बुवाई से पहले 250 किलो जिप्सम प्रति हैक्टर की दर से उपयोग करें। जिप्सम (70–80 % शुद्ध) में 13.15 % गंधक तथा 16–19 प्रतिशत कैल्शियम तत्व पाया जाता है। क्षारीय भूमि सुधार हेतु मिट्टी परीक्षण

जिप्सम के फायदे-
★फसलों की उपज में वृद्धि।
★दाने के आकार व चमक में वृद्धि।
★फसलों का पाले से बचाव।

रिपोर्ट (जी.आर.वैल्यू) जिप्सम की आवश्यक मात्रा के अनुसार जिप्सम का उपयोग करना चाहिए।

तिलहनी फसलों में जिप्समः– रबी की फसल सरसों, तारामीरा आदि तिलहनी फसलों में गंधक के उपयोग से दानों में तेल की मात्रा में बढ़ोतरी होती हैं साथ ही दाने सुडौल एवं चमकीलें बनते हैं जिसके कारण तिलहनी फसलों की पैदावार में 10 से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी होती हैं।

दलहनी फसलों में जिप्समः– दलहनी फसलों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए गंधक आवश्यक है। इससे दलहनी फसलों में भी दाने सुडौल बनते हैं व पैदावार बढ़ती हैं। यह पौधों की जड़ों में स्थित राईजोबियम जीवाणु की क्रियाशीलता को बढ़ाता है जिससे पौधे वातावरण में उपस्थित नत्रजन का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं।

गेहूँ में जिप्सम उपयोगः– खाद्यान्न फसलों में जिप्सम के उपयोग से गंधक तत्व की आपूर्ति होती हैं। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती हैं। गंधक से दाने मोटे एवं चमकदार बनते हैं। प्रोटीन की मात्रा में बढ़ोतरी होती हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार प्रति हैक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम का उपयोग करने से गुणवत्तायुक्त उपज में बढ़ोतरी होती हैं।

फसलों को पाले से बचाने में भी सहायक है जिप्समः– जिप्सम में गंधक पाया जाता है जिसके कारण जिन फसलों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है उनमें पाले से नुकसान होने की संभावना कम रहती है।

जिप्सम उपयोग का सही तरीका

♦उपयोग किये जाने वाला जिप्सम पूर्ण रुप से महीन हो।

♦उत्तम परिणामों हेतु जिप्सम को मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिये ताकि यह भली प्रकार घुलकर मिट्टी के घोल को संतृप्त कर दे।

♦जिप्सम को फसल की बुवाई से पहले खेत में डालना चाहिये। बुवाई पूर्व 250 किलो जिप्सम प्रति हैक्टर की दर से खेत में डालें। यदि खड़ी फसल में डालने की आवश्यकता पड़े तो इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी हो और खेत में डालने के बाद इसे गुड़ाई करके अच्छी प्रकार मिला देना चाहिये।

♦जिप्सम की दक्षता बढ़ाने के लिए हरी खाद या गोबर की खाद का उपयोग लाभप्रद पाया गया है।

अनुदान

♦राज्य के किसानों को पौषक तत्वों के रुप में दलहनी, तिलहनी व गेहूँ की फसल पर 250 किलो जिप्सम प्रति हैक्टर के लिए निर्धारित जिलेवार कुल दर का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति कृषक अधिकतम 2 हैक्टर क्षेत्रफल तक देय है। क्षारीय भूमि सुधार हेतु जिप्सम का उपयोग मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा सिफारिश जिप्सम मात्रा (जी.आर.वैल्यू) के अनुसार निर्धारित जिलेवार कुल दर का 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 5.00 मै. टन प्रति हैक्टर हेतु) प्रति किसान अधिकतम 2 हैक्टर क्षेत्रफल तक देय है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

उन्नत किसान खुशहाल राजस्थान

पृष्ठ 1 का शेष (राष्ट्रीय कृषि .....)

★इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्रावधान।
★राज्य की सभी मंडियों में खरीदारी करने के लिए एकल (सिंगल) लाइसेंस का प्रावधान।
★राज्य में एक ही स्थान पर मंडी शुल्क का प्रावधान ।

कैसे काम करेगा, राष्ट्रीय कृषि बाजार?

राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए इंटरनेट आधारित व्यापार पोर्टल विकसित किया गया है जो देश की सभी इच्छुक मंडियों को उपलब्ध कराया रहा है।

इसके साथ कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों व व्यापारियों के प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना आदि के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कृषि उपज मंडी इस व्यवस्था को प्रभावशाली रुप से चलाने के लिए सक्षम होगी।

पृष्ठ 3 का शेष ("बीज उपचार ड्रम")

प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें। खड़ी फसल में रोग दिखते ही रोग ग्रस्त पौधें को उखाड़कर जला देवें। जिन खेतों में अनावृत कण्डवा रोग का प्रकोप हो वहाँ नियंत्रण हेतु टेबू कोनेजोल (रेक्सिल 2 डी.एस.) 1.25 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचारित करें अथवा ग्लोयोक्लेड़िन विरन्स 4 ग्राम प्रति किलो बीज + विटावैक्स सवा ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें।

*दीमक नियंत्रण हेतु फिप्रोनिल 5 एस. सी. 6 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से अथवा क्लोथिएनिडीन 50 डब्लू.डी.जी. 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आवश्यकतानुसार पानी में घोल बनाकर बीजों पर समान रुप से छिड़काव कर उपचारित करें तथा छाया में सुखाने के बाद बुवाई करें। घोल एकसार छिड़कने के लिए छिड़काव यंत्रो का प्रयोग कर सकते हैं। बीजोपचार के बाद 2 घण्टे के अन्दर बुवाई करें।

*कम पानी की स्थिति में गेहूँ की फसल में 500 पी.पी.एम. (आधा ग्राम प्रति लीटर) थायोयूरिया घोल में बीज को 5 घण्टे भिगोने के बाद छाया में सुखाकर बुवाई करें।

*अन्त में बीज को प्रति हैक्टर 3 पैकेट एजेटोबैक्टर व 3 पैकेट पी.एस.बी. कल्चर से उपचारित कर बोयें।

सरसों

*सरसों के बीज को बुवाई से पूर्व 2.5 ग्राम मैन्कोजेब 75 डब्ल्यू.पी. या 3 ग्राम थाईरम 80 डब्ल्यू.पी. प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोयें।

*जिन क्षेत्रों में सफेद रोली रोग का प्रकोप ज्यादा होता है वहाँ मैटालेक्सिल 35 एस. डी. दवा की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करना चाहिये।

*बीज को 10 ग्राम ट्राईकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके पश्चात् बीज को 3 पैकेट पी.एस.बी. व 3 पैकेट एजेटोबैक्टर कल्चर से उपचारित कर बुवाई करनी चाहिये।

चना

*जड़ गलन एवं सूखा जड़ गलन (राईजोक्टोनियाँ बटाटिकोला जनित रोग) व उखटा रोगों की रोकथाम के लिये कार्बेण्डेजिम 50 डब्ल्यू.पी. एक ग्राम एवं थाईरम 80 डब्ल्यू.पी. ढ़ाई ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें।

*जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप हो वहाँ फिप्रोनिल 5 एस.सी. 10 मिलिलीटर प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। वायर वर्म प्रभावी क्षेत्रों में बीज को 10 मिलिलीटर क्यूनालफॉस 25 ई.सी. प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित करने के बाद बोयें।

*अन्त में बीज को राईजोबियम कल्चर 3 पैकेट प्रति हैक्टर से उपचारित करें।

*जहाँ भूमि परीक्षण में मोलिब्डेनम तत्व की कमी पाई जाये वहाँ राइजोबियम कल्चर उपचार से पूर्व बीज को 3.5 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोयें।

जौ

*बीज द्वारा फैलने वाली बीमारियों जैसे आवृत्त कण्डवा एवं पत्तिधारी रोग से फसल को बचाने हेतु बीज को बोने से पूर्व 2.5 ग्राम मैन्कोजेब या 3 ग्राम थाइरम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें।

*जहाँ अनावृत्त कण्डवा रोग का प्रकोप हो, वहाँ 2 ग्राम वीटावैक्स या वीटावैक्स + थाईरम (1 ग्राम + 1 ग्राम) प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। वीटावैक्स से बीज उपचार करने के बाद अन्य किसी फफूंदनाशी से उपचार की आवश्यकता नहीं है।

*यदि सिर्फ दीमक का ही प्रकोप हो तो बीज को फिप्रोनिल 5 एस.सी. 6 मिलिलीटर या क्लोथिएनिडीन 50 डब्ल्यू. डी.जी. 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करें।

*अन्त में बीज को प्रति हैक्टर 3 पैकेट एजेटोबैक्टर व 3 पैकेट पी.एस.बी. कल्चर से उपचारित करें। उपचारित बीजों को छाया में सुखाने के तुरन्त बाद बुवाई करें।

कल्चर (संवर्ध) से बीजोपचार के लिए एक लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ गर्म करके घोल बनायें तथा घोल के ठण्डा होने पर 3 पैकेट (600 ग्राम) कल्चर मिलायें। इस मिश्रण में एक हैक्टर में बोई जाने वाली फसल के बीजों को इस प्रकार मिलायें कि सभी बीजों पर इसकी एक समान परत चढ़ जाये। इसके बाद बीजों को छाया में सुखाकर शीघ्र बुवाई करें।

स्वत्वाधिकारी कृषि विभाग राजस्थान सरकार के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक निदेशक कृषि, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कृषि सूचना मुद्रणालय, जयपुर से मुद्रित और पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर से प्रकाशित।

प्रकाशक व मुद्रक – अम्बरीष कुमार
सम्पादक – खेमराज शर्मा
सह सम्पादक – सुनीता घोसल्या
परामर्श – जे.पी. यादव
– राजेन्द्र सिंह मनोहर
डिजाइनर – रैजनल मैसी